

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

15 दिनों में सफाई व्यवस्था में अनिवार्य रूप से सुधार करें-कलेक्टर निगम अधिकारियों की बैठक लेकर दिये निर्देश

रतलाम 08 जून । शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर 15 दिवस में अपने स्तर पर सुधार लाने के निर्देश दिये।

कलेक्टर व प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने आयोजित बैठक में कहा क नगर निगम द्वारा शहर के 49 वार्डों के प्रत्येक घरों से कचरा संग्रहण किया जा रहा है तो शहर के व भन्न स्थानोंए सड़कोंए नाले-ना लयों आदि में कचरा क्यों दिखाई दे रहा है। उन्होंने निर्देशत किया क रूट चार्ट अनुसार कचरा संग्रहण वाहन घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य करें व इसकी पूरी निगरानी जीपीएस से की जाये साथ ही वाहन के चालक व हैल्पर समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहे व समय पर वाहन वार्डों में लेकर जायें।

बैठक में कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने कहा क कचरा संग्रहण वाहन से घर-घर से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण हो यह जिम्मेदारी नियुक्त पर्यवेक्षक व झोन प्रभारी की है वे यह कार्य सतर्कता के साथ करें।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने झोन प्रभारियों को निर्देशत किया क वे वार्डों में कार्यरत सफाई संरक्षकों का ड्यूटी आदेश बनाये व आदेश अनुसार कर्मचारियों से सफाई का कार्य लेवें कर्मचारी यदि आदेश अनुसार कार्य नहीं करता है तो अपने उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी देवें।

शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह से जानकारी लेकर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने कहा क वे झोन प्रभारीए वार्ड प्रभारी व सफाई संरक्षकों पर कन्ट्रोल कर सफाई का कार्य लेवें। उन्होंने निर्देशत किया सफाई व्यवस्था में कसी भी प्रकार की कोताही बर्दाशत नहीं की जावेगी शहर में कहीं भी गंदगी दिखाई देती है तो

संबंधित जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने हेतु सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे 15 दिनों में अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था में आवश्यक रूप से सुधार कर लें अन्यथा संबंधित के वरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के अलावा निगम अधिकारी सर्वश्री सत्यप्रकाश आचार्यए एम.के. जैनए जसवन्त जोशीए सुभाष गोयलए रामचन्द्र शर्माए सुहास पंडतए बी.एम. चौधरीए राजेश पाटीदारए सद्धार्थ सोनीए विकास मरकामए ब्रजेश कुशवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए नितिन तिवारीए धर्मेन्द्र दोगायाए देवेन्द्र पुरोहितए पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहरा आदि उपस्थित थे।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-नालयों की सफाई का कार्य

6 नालों की सफाई का कार्य जारी

नालों की सफाई उपरांत किया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 08 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-नालयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालों की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अलकापुरीए मौ मनपुराए नगर निगम के पीछे से बाईजी का वास तकए शास्त्री नगरए चौमुखी पुल व बोहरा बाखल वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में जेसीबी मशीनए टेक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से किया गया व

सफाई उपरान्त नालों व नालियों में केसो लक व ब्ली चंग कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया।

अनुपस्थित 22 सफाई संरक्षक को कारण बताओ सूचना-पत्र

आधे व एक दिवस को वेतन काटा

रतलाम 08 जून। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रतलाम 08 जून मंगलवार को प्रातः नगर के व भन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान 33 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर आधे व पुरे दिवस का वेतन काटे जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

प्रातः निरीक्षण के दौरान झोन क्रमांक 1 में 17ए झोन क्रमांक 2 में 2ए झोन क्रमांक 3 में 2 व झोन क्रमांक 4 में 1 इस तरह कुल 22 सफाई संरक्षक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधितों का आधे व एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

921 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 08 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 08 जून

तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 921 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 08 जून को त्रिवेणीए त्रिपो लया गेटए चांदनी चौकए बाजना बस स्टैण्ड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

5 मरीजों को कया मेडसन कट का वतरण

मरीज के परिजनों को 4 मेडकल कट का वतरण

रतलाम 08 जून। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 08 जून को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 7 मेट्रिक टन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई जिन्हें अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलों वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेट्रिक टन कट का वतरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 5 मरीजों को मेट्रिक टन कट का वतरण घर पर किया गया व 1 मरीज अस्पताल में भर्ती होना पाया गया तथा 4 मेट्रिक टन कट मरीजों के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 266 कन्टेनमेंट झोन बनाये

रतलाम 08 जून । कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण मल रहे हैं उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 266 कन्टेनमेंट झोन बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 08 जून तक टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्स्टेंशनए प्रताप नगर एक्स्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए ऑफिसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डोंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बोर्डिंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में

2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा बावडीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पासए जवाहर नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरु कल्याण नगरए रिद्धी-सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्लाए हाथीखानाए खटीक मोहल्लाए गौशाला रोडए जाटो का वासए नौलाईपुराए टाटा नगर गली नम्बर 7ए अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1ए नूरी नगर उंकाला रोडए सूरजमल जैन नगरए लक्ष्मीनगर ए कालोनीए एम.बी. नगरए लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1ए ग्लोबस टाउन शपए अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279ए हिम्मत वहार कालोनीए अशोक नगरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए दीनदयाल नगर एफ सेक्टरए वेदव्यास कालोनीए ताहेरपुराए श्रीमालीवासए जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंटए हाथीखानाए खान बावडीए गुलमोहर कालोनीए रामदेवजी की घाटीए दीनदयाल नगर सी सेक्टरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए कल्याण नगरए गांधी नगरए डोंगरेए इन्द्रा नगरए दीनदयाल नगर डीए ई व एफ सेक्टरए हिम्मत नगर में 2ए महेश नगरए जवाहर नगरए अम्बेडकर नगरए कोमल नगरए मत्र निवास रोडए टीआईटी रोड पर 2ए गुलमोहर कालोनीए महु रोड रायल कालेज के पास पटेल हाउसए आम लया भेरूए रत्नपुरीए न्यू ग्लोबस सटीए पीएनटी कालोनीए वीआईपी नगरए भोई मोहल्लाए जावरा रोड सीतला माता मंदिरए शास्त्री नगर रतलाम हास्पिटल के पासए लक्ष्मी नगरए जैन कालोनी नागरवासए महु रोड अ वष्कार अपार्टमेन्टए पीएनटी कालोनीए काटजू नगरए सद्धांचलमए प्रताप

नगर ए धभाई जी का वास ए दीनदयाल नगर ए सेक्टर ए कोठारीवास ए दो बत्ती पुलस लाईन ए जावरा रोड ए जावरा रोड सीतला माता मंदिर ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 ए गांधी नगर ए सन सटी ए तिरूपति नगर ए देवरा देव नारायण नगर ए रेहमत नगर ए प्रताप नगर ए दीनदयाल नगर ए राम मंदिर के पास ए मराठो का वास ए मोचीपुरा ए हाट रोड ए राजस्व कालोनी ए मड टाउन कालोनी ए सुरजमल जैन नगर ए सुदामा नगर गली नम्बर 4 ए रामगढ़ ए दीनदयाल नगर बी सेक्टर ए जवाहर नगर ए राजीव नगर ए सज्जन वहार कालोनी ए मत्र निवास रोड ए एकता नगर ए काजीपुरा ए भगतपुरी मुख्य मार्ग ए ऋषभदेव नगर ए रेलवे कालोनी ए कस्तुरबा नगर ए जवाहर नगर ए पीएनटी कालोनी ए इन्द्रा नगर ए डोंगरे नगर ए नागरवास ए आबकारी रोड ए नजर बाग बैंक कालोनी ए चांदनी चौक ए शवधाम परिसर रत्नेश्वर रोड ए सम्यक ग्लोबस सटी ए जावरा रोड ए रेहमत नगर ए प्रताप नगर ए घटला कालोनी ए डोसीगांव पी.एम. आवास योजना फ्लेट ए कांगसी मोहल्ला बाजना बस स्टैण्ड ए अशोक नगर ए टाटा नगर गली नम्बर 2 ए कस्तुरबा नगर ए अलकापुरी ए जवाहर नगर ए जाटो का वास ए 2 मुंह की बावडी ए महालक्ष्मी नगर ए दीनदयाल नगर ए इन्द्रा नगर ए जवाहर नगर ए सलावटो का वास ए भगत सिंह कालोनी ए जवाहर नगर ए प्रताप नगर ए मौलाना आजाद नगर ए नयागांव राजगढ़ ए जाटो का वास ए पत्रकार कालोनी ए ईदगाह रोड ए टाटा नगर गली नम्बर 5 व 6 ए रेहमत नगर ए डीजल शेड ए महावीर नगर ए मंगलम् सटी ए कस्तुरबा नगर ए नयागांव गणेश नगर ए मत्र निवास रोड ए मोचीपुरा ए कलीमी कालोनी ए इन्द्रा नगर ए गंगासागर ए शहर सराय ए कसारा बाजार में 3 ए चौमुखी पुल क्षेत्र में 2 ए धनजीभाई का नोहरा ए मत्र निवास रोड ए मल्लत नगर ए तै लयों की सड़क ए शांति निकेतन ए सुभाष नगर ए टीआईटी रोड ए कस्तुरबा नगर ए लोकेन्द्र भवन रोड बैंक कालोनी में कन्टेन्मेंट झोन बनाये गये है इस तरह 29 दिवस में 266 कन्टेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में क्या जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 08 जून । को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य ज्ञान अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ता क को वड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाईज

रतलाम 08 जून । रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटाईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों व गलियों व भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटाईज किया जा रहा है। 08 जून को फायर लॉरी व टैक्टर ट्रॉली से मेडकल कॉलेज सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडकल कॉलेज व माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र व कलेक्टोरेट व ई-दक्ष कार्यालय व नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटाईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटाईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई



उपरान्त सफाई स्थल व नालयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 08 जून । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/08ण06ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.

